न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 156/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मीरोदेवी पत्नी भीखाराम 2. सुगणीदेवी पत्नी हीराराम (जाति विश्नोई, निवासी आलपुरा, तह0 गुडामालानी, जिला बाडमेर)		1. दिनेश पुत्र तेजाराम 2. मानाराम पुत्र तेजाराम 3. सुबटी पत्नी तेजाराम (जाति विश्नोई, निवासी जुगताणियों की ढाणी, तह0 गुडामालानी, जिला बाडमेर) 4. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार गुडामालानी **औपचारिक प्रत्यर्थीगण–** 5. पुरूषोतम जैन पुत्र मोहनलाल जैन 6. धनराज पुत्र लीलाधर जोशी (निवासी गुडामालानी, जिला बाडमेर, हाल निवासी बाडमेर) 7. मांगा पुत्र करनाराम देवासी 8. जोगाराम पुत्र चमनाराम देवासी (निवासी जुगताणियों की ढाणी, तह0 गुडामालानी, जिला बाडमेर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी, राजस्व प्रकरण सं0 156/2022 आदेश दिनांक 31.10.2022

उपस्थिति –
1. श्री लाधूराम पूनिया वकील अपीलांट्स
2. श्री रोशनलाल, वकील रेस्पा0सं0 1 से 3
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.07.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील गुडामालानी के ग्राम जुगताणियों की ढाणी स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 738 रकबा 5.6089 हैक्टर भूमि की नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु विप्रार्थीगण–अपीलांट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2022 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी–रेस्पो0 की उल्लेखित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरान की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर, पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू– राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स तहसील गुडामालानी स्थित ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खसरा नं0 176/1 रकबा 05.8275 हैक्टर भूमि के काबिज सह–खातेदार है। अपीलांट्स व प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के खेत के मध्य पुरानी सेढामाठ कायम चली आ रही है तथा मौके पर पर्याप्त सीमाज्ञान होता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांट व रेस्पो0 के खेतों के मध्य सीमाचिन्ह व पक्की माठ नही होना बताया जाकर नेखमबंदी हेतु आग्रह किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलार्थीगण को सम्यक रूप से तामिल नही हुए, जिसकी तामिली की जांच किए बिना ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। जिससे अपीलांट्स को जवाब एवं सुनवाई का अवसर नही मिला। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त कर रेकर्ड पर नही ली गई। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में RRT 2017(2) पेज नं0 1084–88 की प्रति प्रस्तुत की गई।

जवाब मे रेस्पो0सं0 1 से 3–प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 738 रकबा 5.6089 हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान एवं नेखमबंदी/पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण के पडौसी खेतों की सीमा के कोई भी पक्के मुटाम मौके पर नही होने से नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलाधीन आदेश में भी तहसीलदार गुडामालानी को दोनो पक्षों की उपस्थिति में विवादित खसरा नं0 738 की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु आदेशित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विप्रार्थीगण–अपीलांट को आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.9.22 के जारी रजिस्टर्ड नोटिस की डाक रसीदे मौजूद है। अतः वकील अपीलांट का यह कथन साबित नही है कि उन्हें नोटिस प्राप्त नही हुए अथवा सम्यक रूप से तामिल नही हुए व प्रकरण में उनकी सुनवाई के बिना एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। विधि अनुसार नेखमबंदी/पत्थरगढी का आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार की मौका पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है, जिसका अभाव पाया गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी (बाडमेर) द्वारा राजस्व प्रकरण सं0 156/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2022 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटगण तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 22 जुलाई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

22.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर